न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–06/07–08

केदार नाथ शर्मा बनाम गोपाल साव

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
11/5/23	अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा पत्रांक–07, दिनांक–02.01.2007 के माध्यम से उनके न्यायालय का विविध वाद संख्या–04/91–92 केदारनाथ शर्मा बनाम गोपाल से संबंधित मूल अभिलेख मौजा–पकहा, खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–0.50 डी0 भूमि का कपुर साव, पिता–साव के नाम से चल रहे जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''ओसा देवी के पास मालिकाना हक के साक्ष्य**–हुकुमनामा ओसा देवी को कुल 26 एकड़ 82 डी0 जमीन हुकुमनामा के द्वारा मिला था तथा हुकुमनामा के दस्तावेज श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल है। जमीन्दारी रसीद/मालगुजारी रसीद उक्त जमीन का जमीन्दारी रसीद भी कटा हुआ है जो श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल है। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद 1955 में पहली सरकारी रसीद कटी थी जो तब से लेकर 2008 तक लगातार कटी है एवं उसके बाद भी उक्त विवादित जमीन पर केदारनाथ शर्मा, बिना कोई विवाद के स्थाई लोगों साथ हीं साथ विपक्षी के जानकारी में, भोग–दखल करते आ रहे हें। (1955–2008 तक की सारी रसीद है) (12.12.1955 जिसकी रसीद संख्या–204412 हैं) **विवाद की मुख्य वजह** वर्ष 1954 में केदारनाथ शर्मा का बुना हुआ खेती, जलन व दोष में आकर कुंज सिंह के द्वारा बरबाद किए जाने पर केदारनाथ शर्मा के द्वारा वर्ष 1954 में श्री.डी.पी. सरकार, प्रथम कोटी दण्डाधिकारी, चतरा के कोर्ट मे केस दायर किया गया था जिसका केस संख्या–60/1954 था तथा केदारनाथ शर्मा उक्त केस को जीत गए थे, जिसके परिणामस्वरूप कुंज सिंह बदले एवं द्वोष	

की भावना से केदारनाथ शर्मा की आधिपत्य की 26 एकड़ 82 डी0 जमीन में से 50 डी0 जमीन का केवाला गलत तरीके से 1959 में कपूर साव (गोपाल साव के पिता) के नाम से कर दिया। उक्त जमीन की देखभाल एवं रख रखाव ओसा देवी हीं करती थी। श्री केदारनाथ शर्मा नौकरी की व्यवस्था के चलते उक्त भूमि के रख रखवा में सहभागिता नहीं दे पाते थे। इसलिए केदारनाथ शर्मा को केवाला का पता उस समय नही चला पाया। वर्ष 1990 में ओसा देवी की मृत्यु के पश्चात् जब उनके पुत्र केदारनाथ शर्मा ने उक्त जमीन का रख रखवा करने लगे तथा उसकी मापी कारवाई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कुंज सिंह ने जानबुझकर गतल नीयत से उनके हिस्से की 50 डी0 जमीन कपुर साव को बेच दी है। उक्त संदर्भ में केदारनाथ शर्मा ने श्रीमान् अंचल अधिकारी, हंटरगंज को दिनांक–10.12.1990 को एक आवेदन दिया जिसमें उन्होनें उक्त 50 डी0 जमीन का डिमाण्ड रद्द करने के संबंध में प्रार्थना की। तत्पश्चात् हल्का कर्मचारी ने दिनांक–12.04.1991 को केदारनाथ शर्मा से प्राप्त पत्र के संदर्भ में अंचल अधिकारी को एक पत्र निर्गत किया जिसके जॉचोपरांत पाया कि कपूर साव के नाम चल रही जमाबंदी का आधार मात्र केवाला ही है, जो वर्ष 1959 में कुंज सिंह के द्वारा किया गया था साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि विवादित जमीन 30 वर्षो से आवेदक (केदारनाथ शर्मा) के दखल कब्जे में है। दिनांक–28.08.1991 को अवर निरिक्षक, चतरा के द्वारा अंचल अधिकारी महोदय को एक पत्र किया गया, जिसके जॉचोपरांत यह स्पष्ट है कि उपांकित जमीन का लगान आवेदक/वादी के पक्ष में जमीन्दारी रसीद के आधार पर सरकारी रसीद निर्गत किया गया है। प्रथम सरकारी 12.12.1955 तथा पहली रसीद की संख्या–204412 उक्त पत्र के दूसरे पन्ने में यह भी लिखा है कि दफा 145 सी0आर0पी0सी के केस में अनुमण्डल पदाधिकारी महोदय ने प्रथम पक्ष के पक्ष में दखल–कब्जा घोषित किया है, तद्नुसार ढोल सोहरत भी किया गया है एवं फॉर्म 25 की कार्यवाई हुई है। फॉर्म 25 के दस्तावेज श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल हैं। दिनांक–28.10.1991 में अंचल अधिकारी द्वारा अपने ओदश पत्र में विवादित जमीन की नापी करने का आदेश दिया गया था दिनांक–17.11.1991 को विवादास्पद भूमि की नापी अंचल अमीन के द्वारा किया गया था सिमांकन भी कर दिया गया था। केदारनाथ शर्मा ने दिनांक–27.11.1991 को अंचल अधिकारी को एक आवेदन लिखकर अवगत कराया कि अंचल अमीन के द्वारा नापी का गोपाल साव द्वारा उल्लंघन किया गया है, जिसके उपरांत दिनांक–02.12.1991 को अवर निरीक्षक ने अंचल

अधिकारी महोदय को एक पत्र निर्गत किया जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक–17.11.1991 को विवादस्पद भूमि की नापी अंचल अमीन के द्वारा किया गया था तथा सिमांकन भी कर दिया गया था जिसे गोपाल साव तथा कृष्णा साव द्वारा हटा दिया गया जबकि आदेशानुसार यथास्थिति बनाने की बात थी। परंतु द्वितीय पक्ष के द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तथा जबरन कपूर साव के द्वारा 50 डी0 विवादित भूमि पर जोत कोड़ कर लिया गया। दिनांक–20.04.1992 को हल्का कर्मचारी ने अपना रिपोर्ट उक्त विदास्पद भूमि के एवज में दिया जिसमें यह स्पष्ट है कि जॉचोपरांत दिनांक–20.01.1992 को अंचल अधिकारी ने कपूर साव के 3 एकड़ 24 डी0 जो कि विभिन्न खाता एवं प्लॉट की है, में से खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21 के कुल रकवा में से 50 डी0 (विवादी जमीन) के रसीद निर्गत हो रही थी उसे स्थगित करने का आदेश दिया। आदेशानुसार रसीद कटना बंद हो गया था। दिनांक–13.01.1993 के पत्र से भी यह स्पष्ट होता है कि खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21 का कुल रकवा–3.41 एकड़ ओसा देवी की है। खाता सख्या–04 में प्लॉट संख्या–23 की जमीन कुंज सिंह की है, परंतु कुंज सिंह ने खाता सख्या–4, प्लॉट सख्या–21 की 50 डी0 जमीन को कपूर साव को केवाला कर दिया है, जो अवैध है। इसके उपरांत अंचल अधिकारी ने दिनांक–19.12.2006 को अपने आदेश में यह कहा कि कपूर साव के नाम से चल रहे जमाबंदी अवैध प्रतीत होने के संदर्भ में उक्त जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा कर मूल अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। अतः उपरोक्त तथ्यों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी के पास अपने केवाला तथा उससे संबंधित जमाबंदी के निर्गत होने के दलील के अलावा और कोई साक्ष्य नहीं है। परंतु उक्त केवाला भी अवैध है क्योंकि विपक्षी के पास उक्त जमीन के मालिकाना हक के दावा का न तो कोई साक्ष्य है और ना हीं गवाह। अतः उक्त विवादास्पद भूमि के टाईटल के न होते हुए विपक्षी ने अवैध तरीके से उक्त जमीन का केवाला कर दिया था जो आज विवाद का कारण बना एवं जो सरासर गलत और गैर कानूनी है।

द्वितीय पक्ष के विद्म अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–''प्रश्नगत भूमि मौजा पकहा खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–3.41 एकड़ मध्ये रकवा–50 डी0 भूमि बकास्त खाते की है। यह है कि उक्त भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–1746, दिनांक– 20.10.59 के माध्यम से पाण्डेय कुंज सिंह पिता–स्व0 पाण्डेय साधु सिंह के द्वारा

कपुर साहु, पिता–स्व0 साहु को हस्तातंरण किया गया है। उक्त खरीदगी भूमि पर कपुर साहु के द्वारा दाखिल खारिज करवाकर दखल कब्जे में आते हुए लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया है। सरकार के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कपुर साहु को रैयत की मान्यता दी गई है। इन सभी बातों का आवेदक केदारनाथ शर्मा को पुरी जानकारी थी। सरकार के द्वारा दखल कब्जा को देखते हुए खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–50 डी0 भूमि का जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ सख्या–93 पर कायम किया गया है। जिसका रसीद 90–91 तक निर्गत है। यह है कि आवेदक केदारनाथ शर्मा के द्वारा अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया कि खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–3.41 एकड़ भूमि उनकी माता श्रीमती आशा देवी, पति–स्व0 सीताराम शर्मा को पूर्व जमीन्दार के द्वारा सम्वत् 1996 वर्ष 1939–40 में बंदोबस्ती से प्राप्त है। इसी प्रकार अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा विविध वाद संख्या–06/07–08 गोपाल साव के विरूद्ध प्रारम्भ कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेजा गया है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने हेतु न ही अंचल अधिकारी और ना ही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता महोदय के समक्ष दाखिल किया गया है। यह है कि आवेदक केदारनाथ शर्मा के द्वारा विवादित प्लॉट संख्या–21 का मापी हेतु अमीन प्रतिनियुक्त करवाया गया था। मापी हेतु निर्धारित तिथि के बारे में हमलोग को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी। अमीन के द्वारा प्रस्तुत किया रिपोर्ट आवेदक के प्रभाव में आकर समर्पित कर दिया गया था। अमीन के द्वारा प्रतिवेदित कर दिया गया था कि संबंधित पक्षों के द्वारा अंतिम मापी के पूर्व सुलहनामा कर लिया गया है परंतु ऐसा किसी भी प्रकार का कोई सुलहमाना नहीं हुआ था। द्वितीय पक्ष उक्त खरीदगी भूमि पर खरीदगी की तिथि से शांतिपूर्वक दखलकार है।'' द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विविध वाद संख्या–06/07–08 को खारिज करते हुए आवेदक केदारनार्थ शर्मा के दावा को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अचंल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि–''अंचल अधिकारी, हण्टरगंज का आदेश फलक दिनांक–25.09. 1991 में उल्लेखित है कि–'' केदारनार्थ शर्मा, ग्राम–पकहा, थाना–जोरी, हाल मोकाम श्री केदारनाथ शर्मा, लेखापाल, बिहार राज्य निगम पथ परिवहन निगम, हजारीबाग ने आवेदन पत्र दिया है कि उनकी मां ओसा देवी के नाम ग्राम–पकहा, खाता संख्या–04, 02, 21 रकवा–26.82 एकड़ की रसीद कटती

आ रही है एवं उक्त भूमि पर हमलोगों का जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व से भी दखल कब्जा है। उक्त भूमि में से खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21 का रकवा–3.41 एकड़ में से 0.50 डी0 भूमि श्री कुंज सिंह ने गोपाल साव, पिता–कपुर साव, साकिन–जोरी कला को बेच दिया जबकि कुंज सिंह को बेचने का कोई अधिकार नहीं था एवं अब गोपाल साव भूमि पर कब्जा नहीं होने दे रहे है। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया।'' अंचल अधिकारी द्वारा भूमी मापी हेतु अमीन का आदेशित किया गया था एवं अंकित किया गया है कि–''मापी पश्चात् आगे की कार्रवाई की जायेगी।'' अंचल अधिकारी, हण्टरगंज का आदेश फलक दिनांक–20.04.4992 में उल्लेखित है कि–''अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार उपरोक्त विवादित भूमि का स्थल जांच ग्रामीणों को साथ लेकर अंचल निरीक्षक के द्वारा किया गया। जांच के समय प्रथम पक्ष के श्री केदारनाथ शर्मा, पिता–स्व0 सीताराम शर्मा, द्वितीय पक्ष के श्री गोपाल साव, पिता–स्व0 कपुर साव वो कृष्णा प्रसाद साव, पिता–स्व0 लीलक साव, ग्राम–जोरी, वान सिंह तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। जांचोपरांत पाया गया कि अंचल अमीन द्वारा दिनांक–17.11.91 को विवादस्पद भूमि की मापी कर सीमांकन कर दिया गया था, जिसे द्वितीय पक्ष के श्री गोपाल साव तथा कृष्णा प्रसाद साव के द्वारा हटा दिया गया है जबकि दोनों पक्षों को आदेश दिया गया था कि स्थल पर दोनों पक्षों यथा स्थिति बनाये रखेंगे परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया है। स्थल जांच के क्रम में पाया गया है कि श्री शर्मा द्वारा पूर्व से प्लॉट संख्या–21 एवं 101 सामिल जोत कोड़ कर रहे थे जिसे गोपाल साव वगैरह जोरपूर्वक जोत लिया गया है। साथ ही खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–3.41 में 0.50 डी0 भूमि जो प्रथम पक्ष की है और जिस द्वितीय पक्ष द्वारा गलत केवाला द्वारा क्रय किया गया है को बाजबरजस्ती जोत लेने की धमकी देते है जैसा कि श्री शर्मा के बराहील मोनु गंझु ने बताया। उक्त 0.50 डी0 भूमि को श्री गोपला साव ने कुंज सिंह से क्रय किया है जबकि कुंज सिंह को उक्त भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं है, द्वितीय पक्ष को आदेश दिया गया था कि कुंज सिंह ने उक्त भूमि को किस आधार पर बेचा के संबंध में में साक्ष्य प्रस्तुत करे इस पर श्री गोपाल साव, मौन साध गये। अतएव स्पष्ट होता है कि 0.50 डी0 की पंजी–2 के पृ0सं0 93 में गोपाल साव के पिता कपुर साव के नाम चल रही जमाबंदी अवैध प्रतीत होता है। इस कार्यालय द्वारा श्री कुंज सिंह को उक्त भूमि बेचने का अधिकार के संबंध

में नोटिस दिया गया था जिसे रामएकवाल सिंह द्वारा दिनांक–23.10.91 को प्राप्त किया गया था परन्तु उनके द्वारा या उनके वकील के द्वारा आज तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव स्पष्ट है कि श्री गोपाल साव के पिता के नाम से उक्त चल रही जमाबंदी अवैध प्रतीत होता है, जिसे तत्काल अगले आदेश तक स्थगित करने का आदेश निर्गत करें।'' **अभिलेख में अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा 20.04.92 को हस्ताक्षरित पत्र संलग्न है, जो कर्मचारी हल्का सख्या–11 को सम्बोधित है। इस पत्र के माध्यम से अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि** ''श्री कपुर साहु, पिता–श्री भीखर साहु, साकिन–जोरी ग्राम–पकहा के पंजी–2 पृष्ठ संख्या–93 में निम्नांकित भूमि की जमाबंदी चल रही है। खाता संख्या–18, प्लॉट सख्या–10, रकवा–1.25 खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–101, रकवा–0.62 खाता सख्या–15, प्लॉट संख्या–22, रकवा–0.55 खाता संख्या–19 प्लॉट संख्या–20/102 रकवा–0.32 **खाता संख्या–4, प्लॉट संख्या–21 रकवा–0.50** कुल रकवा–3.24 एकड़ उक्त चल रही जमाबंदी में से खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–0.50 डी0 की जमाबंदी जॉचोपरांत अवैध प्रतीत होता है अतएव चल रहे जमाबंदी में से उक्त 0.50 डी0 की जमाबंदी को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। अतएव आदेश दिया जाता है कि उक्त जमाबंदी में सिर्फ खाता संख्या–4 प्लॉट संख्या–21 रकवा–0.50 डी0 को छोड़कर शेष खाता सख्या–18, 16, 15 एवं 19 रकवा–2.74 की रसीद पूर्ववत निर्गत करें।''

पुनः **अंचल अधिकारी, हण्टरगंज का आदेश फलक दिनांक–28.11. 2006 में उल्लेखित है कि–''** श्री केदारनाथ शर्मा ने बतलाया कि 04/1991–92 केदारनाथ शर्मा बनाम गोपाल साव काफी लंबे अर्से से कार्रवाई हेतु लंबित है। प्रथम पक्ष केदारनाथ शर्मा के बताया गया कि ग्राम–पकहा के खाता सं0 04 प्लॉट संख्या–21 रकवा–3.41 डी भूमि सुखदेव साव की जमीन्दारी थी। अंस गोवधन दास वल्द नारायण दास साकिन–चतरा ने चार आना केवाला से खरीद किया। केवाला के अनुसार खेवट सख्या–2/2 वुद्धिनारायण दास के चार आना हिस्सा मिला था। उसके वाद गोवद्वन दास जी के लड़का सरकार के रिर्टन में आशो कुंवर पति सीताराम शर्मा के खाता सख्या–04, 29, 21 मिलकर कुल 26.82 एकड़ भूमि का रिटर्न प्रस्तुत किये। रामटहल दास ने हुकुमनामा भी उषा कुंवर को दिया 1939 ई से जमीनदारी रसीद आशो कुंवर क नाम से निर्गत किया गया। पहली रसीद सरकार द्वारा 1955 से निर्गत किया गया इन्होनें 1969 का रसीद प्रस्तुत

किया अद्यतन रसीद 2006 तक सरकारी रसीद भी निर्गत है। 1954 ई0 में कुल सिंह के साथ मेरा उन्होनें बतलाया कि पुराना याद है। हमारा जमीन कपुर साव के नाम से 3.41, 0.50 डी0 मध्ये रकवा विक्री कर दिया। इस पर 144–145 का भी कार्रवाई की गई केश नं0–1944 अंदर शेक्शन 145, CRPC केदार नाथ शर्मा बनाम जगदीश दास मेरे पक्ष में निर्गत। इसके बाद भूमि मेने कभी विक्री नहीं किया। आज भी भूमि पर कब्जे में है। चल रहे जमाबंदी को वर्तमान में संशोधित है। रद्द करने की कार्रवाई की जाय। विपक्षी कपुर साव के तरफ से उनके पोता उमाकान्तु गुप्ता उपस्थित है। इनका कहना है कि हमारे दादा कुंज सिंह से कपुर साव जमीन लिए 3.24 डी0 जमीन खरीद किये 27.10.59 में जिसका खाता प्लॉट 04 प्लॉट सख्या–10 रकवा–0.50 डी0 अन्य खाता के साथ खाता संख्या–4 रकवा–3.24 एकड़ खरीद किये। सुनवाई समय कुंज सिंह के पोता राम एकवाल सिंह भी उपस्थित है। उन्होने बतलाया कि उस समय मैं नावालिक था। सारा कागजातें मेंर लुट गया है। मुझे जानकारी भी नही है। उमाकान्त गुप्त के द्वारा इन्होनें रसीद 3.24 डी0 का वर्ष 1989 से 90 तक प्रस्तुत किया। इसके बाद इन्होनें बतलाया कि इसका रसीद स्थागित कर दिया गया है। अभिलेख के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि 0.50 डी0 भूमि कपुर साव के नाम क्रय की गई भूमि का जमाबंदी रद्द करने का कारवाई पूर्व के अंचल अधिकारी, द्वारा किया जा चुका है। हल्का कर्म0/अ0 नि0 का अनुशंसा भी अभिलेख में संलग्न है। पुरे अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ओदश फलक अंचल अधिकारी द्वारा लिखा गया था। परंतु हस्ताक्षर शेष रह गया था। सुनवाई के दौरान केदार नाथ शर्मा के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सही प्रतीत होता है। विपक्षी अपने पक्ष में कोई ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकें। अतएव अवैध विक्री खाता संख्या–04 प्लॉट सख्या–21 रकवा–0.50 डी0 कपुर साव के नाम चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।''

अभिलेख में संलग्न दिनांक–13.01.93 को राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि–''खतियान के अनुसार **खाता संख्या–02,** प्लॉट संख्या–02, रकवा–0.81, प्लॉट संख्या–05, रकवा–0.73, प्लॉट संख्या–0.05, **खाता संख्या–04** प्लॉट संख्या–23, रकवा–0.70, खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–07, रकवा–0.70, प्लॉट संख्या–08, रकवा–1.50, खाता संख्या–21 प्लॉट संख्या– 3, रकवा– 0.26 कुल रकवा–4.75 एकड बुझारत के अनुसार कुंज सिंह पिता–साधु सिंह साकिन–जोरी के नाम उक्त भूमि दर्ज है। कुंज सिंह के नाम खाता

संख्या–04, प्लॉट संख्या–23, रकवा–0.70 बुझारत मे दर्ज है एवं जमाबंदी कायम हुई है। खतियान के अनुसार खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, कुल रकवा–3.41 एकड़ बकास्त खाते की भूमि है जो बुझारत प्लॉट इन्डेक्स पंजी में आसो कुमारी पति–सीताराम त्रिवेदी के 3.41 एकड़ दर्ज है एवं तदनुसार जमाबंदी भी कायम हुई है एवं जमीन्दारी उन्मुलन पश्चात् सरकारी रसीद निर्गत की गई है। इससे स्पष्ट है कि खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21 कुल रकवा–3.41 एकड़ आसो कुमारी की है। खाता संख्या–04 में प्लॉट संख्या–23 की भूमि कुंज सिंह की है परंतु कुंज सिंह ने खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21 रकवा–0.50 डी0 की बिक्री से कपुर साहु वाल्द साहु साकिन जोरीकला के नाम केवाला द्वारा कर दी गई है जो अवैध है। राजस्व कर्मचारी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि कुंज सिंह की जमीन ग्राम पकहा खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21 की नहीं है परंतु श्री कुंज सिंह ने खाता सख्या–04, प्लॉट संख्या–21 रकवा–0.50 एकड़ बिक्री श्री कपुर साव के नाम कर दी है एवं जमाबंदी कायम की गई जिसे रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।'' **अभिलेख में संलग्न दिनांक–28.08.91 को अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि**–''आवेदक (केदारनाथ शर्मा) की मॉ श्रीमती ओसा देवी पति–सीताराम शर्मा के नाम से भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा बंदोबस्त हासिल वर्ष सम्वत् 1996 (1939 ई0) है। मौजा पकहा **खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–3.41** प्लॉट संख्या–71, रकवा–0.38 खाता संख्या–02, प्लॉट संख्या–76, रकवा–10.00, प्लॉट संख्या–99, रकवा–12.00, खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–74, रकवा–0.91, प्लॉट संख्या–11, रकवा–0.02, प्लॉट संख्या–12, रकवा–0.01, प्लॉट संख्या–19, रकवा–0.09 कुल रकवा–26.82 एकड़ जमीन का लगान जमीन्दारी रसीद के आधार पर सरकारी रसीद निर्गत किया गया है प्रथम सरकारी रसीद दिनांक–12.12.55 को काटी गई है रसीद संख्या–204412 दिनांक–12.12.55 है आखरी रसीद वर्ष 90–91 तक आवेदक ने प्राप्त किया है। उपरोक्त खाता सख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–3.41 एकड़ मध्ये 50 एकड़ भूमि की रसीद पंजी–2 पृष्ठ संख्या–93 में कपुर साह के नाम से रसीद कट रही है जिसे रद्द करने हेतु आवेदक ने आवेदन पत्र दिया है।''

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों, निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. बकास्त भूमि का मामला ।

2. प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा निबंधित केवाला से भूमि प्राप्त होने का दावा।
4. विवादित भूमि का द्वितीय पक्ष के नाम से लंबे समय से कायम जमाबंदी का मामला।

(1) **बकास्त भूमि का मामला** :–अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में अंकित है कि खतियान के अनुसार खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, कुल रकवा–3.41 एकड़ **बकास्त खाते की भूमि** है।

(2) **प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा** :– **अंचल अधिकारी, हण्टरगंज का आदेश फलक दिनांक–28.11.2006 में उल्लेखित है कि–**" श्री केदारनाथ शर्मा ने बतलाया कि 04/1991–92 केदारनाथ शर्मा बनाम गोपाल साव काफी लंबे अर्से से कार्रवाई हेतु लंबित है। प्रथम पक्ष केदारनाथ शर्मा के बताया गया कि ग्राम–पकहा के खाता सं0 04 प्लॉट संख्या–21 रकवा–3.41 डी भूमि सुखदेव साव की जमीन्दारी थी। अंस गोवधन दास वल्द नारायण दास साकिन–चतरा ने चार आना केवाला से खरीद किया। केवाला के अनुसार खेवट सख्या–2/2 वुद्दिनारायण दास के चार आना हिस्सा मिला था। उसके वाद गोवद्वन दास जी के लड़का सरकार के रिर्टन में **आशो कुंवर पति सीताराम शर्मा के खाता सख्या–04, 29, 21 मिलकर कुल 26.82** एकड़ भूमि का रिटर्न प्रस्तुत किये। रामटहल दास ने हुकुमनामा भी उषा कुंवर को दिया 1939 ई से जमीन्दारी रसीद आशो कुंवर क नाम से निर्गत किया गया। पहली रसीद सरकार द्वारा 1955 से निर्गत किया गया इन्होनें 1969 का रसीद प्रस्तुत किया अद्यतन रसीद 2006 तक सरकारी रसीद भी निर्गत है।"

(3) **द्वितीय पक्ष के द्वारा निबंधित केवाला से भूमि प्राप्त होने का दावा** :– **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**"प्रश्नगत भूमि मौजा पकहा खाता संख्या–04, प्लॉट संख्या–21, रकवा–3.41 एकड़ मध्ये रकवा–50 डी0 भूमि बकास्त खाते की है। यह है कि उक्त भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–1746, दिनांक–20.10.59 के माध्यम से पाण्डेय कुंज सिंह पिता–स्व0 पाण्डेय साधु सिंह के द्वारा कपुर साहु, पिता–स्व0 साहु को हस्तातंरण किया गया है। उक्त खरीदगी भूमि पर कपुर साहु के द्वारा दाखिल खारिज करवाकर दखल कब्जे में आते हुए लगान

दखल सरकारी रसीद प्राप्त किया गया है। कमलकान्त के द्वारा उक्त भूमि के [illegible] में कपूर साव को पैसा की वापसी दी गई है। इन सभी बातों का [illegible] सर्मा को पूरी जानकारी थी। कमलकान्त के द्वारा [illegible] के दखल हुए खाता संख्या—04 प्लॉट संख्या—21 रकबा—50 डी0 भूमि का जमाबंदी पंजी—2 के पृष्ठ संख्या—90 पर कायम किया गया है [illegible] रसीद 90—91 तक निर्गत है।

(4) विवादित भूमि का द्वितीय पक्ष के नाम से लंबे समय से कायम जमाबंदी का मामला — द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपना लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि— प्रश्नगत भूमि मौजा पकड़ा खाता संख्या—04, प्लॉट संख्या 21, रकबा—3.41 एकड़ मध्ये रकबा—50 डी0 भूमि कायम खास की है। कहना है कि उक्त भूमि निबंधित सेल डीड संख्या—1746, दिनांक—20.10.59 के माध्यम से पाण्डेय कुंज सिंह पिता—स्व0 पाण्डेय साधु सिंह के द्वारा कपूर साव, पिता—स्व0 साव को हस्तांतरण किया गया है। उक्त खरीदगी भूमि पर कपूर साव के द्वारा दाखिल खारिज करवाकर दखल कब्जा में आते हुए लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कपूर साव के नाम से निर्गत रसीद संख्या—350888 (साल 61—62), 351959 (साल 62—63), 831478 (साल 63—64) से वर्ष 90—91 का निर्गत रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उभय पक्ष अपने—अपने राजस्व कागजातों के आधार पर जमाबंदी कायम होने का दावा कर रहे है तथा लम्बे समय से भी जमाबंदी कायम होने का दावा है, साथ ही साथ प्रश्नगत भूमि रैयती भूमि है।

अतः अभिलेख में संलग्न सभी राजस्व कागजातों के आधार पर स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। इस न्यायालय से कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। संबंधित पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय/सिविल कोर्ट की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

11/05/23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।

11/05/23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:03:53 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9